न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 64 / 2022

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,लि0 शाखा प्लाट नं. 23, सैल टावर, न्यू रोहतक रोड करोल बाग नई दिल्ली–11005 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / सिक्योर केडिटर

बनाम

1–मै0 बाबा आयल्स, . जी–211, ब्रज उद्योग क्षेत्र,भरतपुर

......अप्रार्थी ऋणी

2–श्री अरुण कुमार रामूका, प्लाट नं. जी–211, ब्रज उद्योग क्षेत्र,भरतपुर, राजस्थान
3–सुधा देवी रामूका, प्लॉट न. ई–184, रनजीत नगर कॉलोनी, भरतपुर (राजस्थान)
2– Flat No- 201 , Tower TI, Apana Ghar,Shalimar Extn Agreen, Village Nagla, Samawadi, Tijara Road Alwar, Rajasthan
4– श्री उमंग रामूका, प्लाट नं. जी 211, ब्रज उद्योग क्षेत्र,भरतपुर, राजस्थान

......अप्रार्थी गारन्टर ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

——————

आदेश **दिनांक 3.8.2023**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने 29000000 /– रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति 1- All That Part and Parcel of Property Situated at Plot No. G 211, Brij Industrial Area, Bharatpur, Rajasthan 321001 , Admeasuring an Area as per sale Deed, in the name of M/s BABA Oils. BOUNDED AS PER SALE DEED.

2- All That Part and Parcel of Property Situated at Plot No. E- 184, Ranjeet Nagar Colony, Bharatpur, Rajasthan 321001 , Admeasuring an Area as per sale Deed, in the name of Sudha Devi Ramuka. BOUNDED AS PER SALE DEED. में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 29–12–2021 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31–01–2022 तक 29233627 /– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा

.........2

जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 05–02–2022 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा नोटिस दो अखवार में स्याहा कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में वंधक किया था व वंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 05–02–2022 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा अखवार में स्याहा कराया गया है। उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी० द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति 1- All That Part and Parcel of Property Situated at Plot No. G 211, Brij Industrial Area, Bharatpur, Rajasthan 321001 , Admeasuring an Area as per sale Deed, in the name of M/s BABA Oils. BOUNDED AS PER SALE DEED.

2- All That Part and Parcel of Property Situated at Plot No. E- 184, Ranjeet Nagar Colony, Bharatpur, Rajasthan 321001 , Admeasuring an Area as per sale Deed, in the name of Sudha Devi Ramuka. BOUNDED AS PER SALE DEED स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भैतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर